कार्यालय अधिष्ठाता

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया (म.प्र.)

टेलीफोन नं. 07522–234001
E mail Id- datiamedicalcollege@gmail.com & datiamedicalcollege2018@gmail.com
Website- www.datiamedicalcollege.com
पता – 29 बटालियन के पास, एन.एच. 44, जिला दतिया, म.प्र. पिन कोड 475661

क्रमांक 6114 /द.चि.म./2021 दतिया, दिनांक – 03/08/2021

//संविदा वर्ग हेतु नियुक्ति आदेश//

म.प्र शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के पत्र क्र. एफ2–06/2018/1–55 भोपाल दिनांक 07.04.2018 द्वारा शा.चि.म. दतिया में म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय सेवा आदर्श नियम 2018 एवं संचालनालय चि.शि. विभाग म.प्र. भोपाल के पत्र क्र. 688/स्था. अराज/2018 भोपाल दिनांक 09.08.2018 द्वारा जारी की गई अनुमोदित अनुसूचियों के आधार पर रिक्त स्टाफ नर्सों के पदों पर शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया द्वारा एम.पी. ऑन लाईन के माध्यम से जारी विज्ञप्ति में संविदा पर कार्यरत् केटेगरी में पाए गये योग्य अभ्यर्थियों को स्क्रूटनी कमेटी द्वारा दस्तावेजों की जॉच कर योग्य अभ्यर्थियों को स्वशासी संस्था, दतिया की चयन समिति द्वारा की गई अनुशंसा के उपरांत निम्नलिखित आवेदकों का चयन स्टाफ नर्स के पद पर अस्थाई रूप से निम्नलिखित वर्णित शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है।

चयनित अभ्यर्थी सूची

क्र.	नाम	पिता/पति का नाम	श्रेणी
1.	दीपमाला मिंज	ज्योति कुमार मिंज	अनुसूचित जनजाति

उक्त नियुक्ति स्वशासी भर्ती नियमों की शर्तों के अधीन निम्नानुसार होगी :–

1. जिला मेडीकल बोर्ड का स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र 15 दिवस में प्रस्तुत करना होगा।
2. चयनित प्रत्याशी को आदेश जारी होने की दिनांक से 07 दिवस के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।
3. चयनित अभ्यर्थी को ''पुलिस वेरीफिकेशन'' प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
4. पूर्व में कार्यरत संस्थान से कार्यमुक्ति एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत करना होगा।
5. सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र – चयनित प्रत्याशी को न्यूनतम तीन वर्ष की सेवायें देने हेतु सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र निष्पादित करना होगा। सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र में निहित शर्तों का पालन न करने पर उसे एक वर्ष के वेतन/मानदेय के बराबर की राशि इस शा.चि.म. दतिया को चुकानी होगी। अन्यथा की स्थिति में यह देय राशि संबंधित से भू–राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।
6. संविदा पर कार्यरतों को एक कलेण्डर वर्ष में 13 दिन का आकस्मिक अवकाश, 15 दिन का अर्जित अवकाश, लघुक्रत अवकाश की पात्रता होगी तथा कलेण्डर वर्ष की समाप्ति पर शेष अवकाश स्वतः व्यपगत हो जाऐंगे। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारियों को 90 दिवस का प्रसूति अवकाश की पात्रता उन प्रतिबंधों के साथ रहेगी जो महिला शासकीय सेवक के लिए अवकाश नियमों में निर्धारित है।
7. चयनित प्रत्याशी को पदस्थीकरण के स्थान तक जाने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
8. इस नियुक्ति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अ.पि.व/महिला एवं विकलांग के पदों संबंधी प्रावधानों को ध्यान में रखा गया है।
9. नियुक्ति स्वशासी संस्था की सेवा शर्तों के अधीन होगी, संस्था अपनी सेवा शर्तों में आंशिक सुधार एवं परिवर्तन कर सकेगी।
10. स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, अंकसूची एवं अन्य दस्तावेज जो आपके द्वारा प्रस्तुत किये गए हैं, के सत्यापन में यदि प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त हुआ तो सेवायें बिना किसी नोटिस के स्वमेव समाप्त हो जावेगी एवं आपके विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।
11. उपस्थिति दिनांक को सम्पूर्ण प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति जमा करनी होगी। साथ ही **"मेरे द्वारा पूर्णतः सत्य जानकारी दी गई है तथा कोई भी कूटरचित दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, जिनमें फेरबदल किया गया हो"** को शपथ पत्र के प्रारूप में अधिष्ठाता कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करें।

Scanned with CamScann

12. आप किसी भी राजनैतिक एवं विवादित गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे, यदि यह पाया जाता है कि आप विवादित अथवा किसी भी अवधित गतिविधियों में लिप्त हैं, तब अधिष्ठाता को आपकी नियुक्ति निरस्त करने का अधिकार होगा जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
13. एक बार इस संस्था में नियुक्ति होने के पश्चात् आपकी सेवाएँ अन्य संस्थाओं को स्थानांतरित नहीं होंगीं।
14. चयनित प्रत्याशी को अपनी उपस्थिति कार्यालय अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया को देना अनिवार्य होगा।
15. आपके दस्तावेजों पर यदि किसी के द्वारा कोई आपत्ति ली जाती है/विवाद उत्पन्न होता है एवं आपत्तिकर्ता सत्य पाया जाता है तो आपकी नियुक्ति निरस्त की जा सकती है।
16. संचालनालय, चिकित्सा शिक्षा से प्राप्त पत्र क्रमांक 932/स्था./अराज./सं.चि.शि./2019 भोपाल, दिनांक 24/08/2019 के अनुसार शासकीय स्कूल/महाविद्यालय अथवा उत्तीर्ण उम्मीदवारों को उनकी शैक्षणिक एवं व्यवहारिक गुणवत्ता एवं शासन द्वारा व्यय प्रथम 03 माह के निश्चित पारिश्रमिक 10,000/–रूपए प्रतिमाह पर की जावेगी। 03 माह पश्चात् कार्यरत स्टाफ नर्सों की परीक्षा ली जावेगी एवं परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात् ही अभ्यर्थियों को नियमित स्थापना के पदों में नियुक्त किया जाएगा।
17. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक सी–3–13/2019/03/एक भोपाल, दिनांक 12.12.2019 के अनुसार परिवीक्षा अवधि में नियुक्त पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायफंड के रूप में देय होगी। 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जावेगा।
18. उक्त पद पर चयनित अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय आहर्ता संबंधी दस्तावेज लाना अनिवार्य होगा।

अधिष्ठाता एवं कार्यपालन अधिकारी
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
दतिया, म.प्र.

क्रमांक 6114-21 /द.चि.म./2021 दतिया, दिनांक – 03/08/2021

प्रतिलिपि :– **निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ प्रेषित।**

1. आयुक्त चिकित्सा शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन् भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, संभाग–ग्वालियर एवं अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति दतिया की ओर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर, जिला दतिया म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
4. संचालक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ
5. स्थानीय लेखा शाखा, शा.चि.म., दतिया की ओर सूचनार्थ।
6. स्थानीय स्थापना शाखा, शा.चि.म., दतिया की ओर सूचनार्थ।
7. संबंधित चयनित अभ्यार्थी की ओर पालनार्थ।

अधिष्ठाता एवं कार्यपालन अधिकारी
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
दतिया, म.प्र.

Scanned with CamScanner